संख्या-1/2026/05/83-2026/1915358

प्रेषक,

संयुक्ता समद्दार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ |

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ:**

दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय: नागरिक सुरक्षा कोर के वाडेन्स के ड्यूटी एवं प्रशिक्षण भत्तों की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1707/अनु-1/05/2013, दिनांक 29.12.2025,भारत सरकार के पत्र संख्या मिसिल संख्या, F.No. VI-14025/24/2014-DGCD(CD) Part-1-810-931,दिनांक 12.09.2024 के सन्दर्भ में तथा शासन के पत्र संख्या-988/83-2025, दिनांक 10.11.2025 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते तथा प्रशिक्षण भत्ते की दरों को निम्नवत पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है-

शासनादेश दिनांक 10.11.2025 में व्यवस्था				संशोधित व्यवस्था			
क्र०सं०	मद	वर्तमान दर	**पुनरीक्षित दर**	S.No	Type of allowance	Old Rates	**Revised Rates**
1	ड्यूटी भत्ता	31/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	150/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	(a)	Duty allowance-when called out for duty exercise/rehearsal	Rs 31/- per head per day	Rs 150/- per head per day
2	प्रशिक्षण	28/-	140/-				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

	भत्ता	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	(b)	Parade allowance/Training allowance (when called out for Parade/ Training)	Rs 14/- per head per Parade/ Training of 2.5 Hrs duration but not less than 1.5 Hrs Rs 28/- per head per day for more than one Parade/ Training Hrs exceeding 2.5 Hrs duration.	Rs 140/- per head per day for more than one Parade/ Training. Hours exceeding 2.5 Hrs duration (Rs 70/- per head per Parade/ Training of 2.5 Hrs duration but not less than 1.5 Hrs.
				(c)	Training allowance during Camp Training When called out for Camp Training only.		
					(i) Out of pocket allowance	Rs 12/- per head per day	Rs 60/- per head per day
					(ii)Messing allowance	Free boarding and lodging within a ceiling of	Free boarding and lodging within a ceiling of Rs 80/- per

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			Rs 16/- per head per day.	head per day.

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय-02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त व्यवस्था समस्त नागरिक सुरक्षा जनपदों में दिनांक 01.04.2026 से अनुमन्य होगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-12-530-X-2025-26-दिनांक 25.02.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

संयुक्ता समद्दार
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक-तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लाक-VII, लेवल-7, आर०के० पुरम, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त कोषाधिकारी, जनपद, उ०प्र०।
9- कमाण्डेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
10- समस्त उप नियंत्रक/प्रभारी उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in